

भारतीय मानक ब्यूरो
(केंद्रीय मुहर विभाग-1)

हमारा संदर्भ: सीएमडी-1/3:3

18 03 2024

विषय: मार्च 2024 माह में अभी तक जारी किये गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन हेतु कृपया संलग्न परिपत्र पर विचार करें।

(संजय सक्सैना)
वैज्ञानिक-डी (सीएमडी-1)

प्रमुख (केंद्रीय मुहर विभाग -1)

बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को प्रचालित

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(CENTRAL MARKS DEPARTMENT-I)

Our Ref: CMD-1/3:3

18 03 2024

Subject: Implementation of Quality Control Orders issued in the month of March 2024, till date

Please consider attached circular.

Sanjay Saxena
Scientist-D (CMD-I)

Head (CMD-I)

Circulated to all concerned departments through BIS Intranet

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(CENTRAL MARKS DEPARTMENT-I)

Our Ref: CMD-1/3:3

18 03 2024

Subject: Quality Control Orders (QCOs) notified in the month of March 2024 (till date)

Following Quality Control Orders (QCOs) have been notified by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry under the provisions of BIS Act, 2016 in the month of March 2024 (till date):

S. No.	Quality Control Order	Indian Standard	Product	Date of Implementation
Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2023				
1.	Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2023 S.O.1114(E) dated 05th March 2024	IS 3315:2019	Evaporative Air Coolers(Desert Coolers)	05 th September, 2024
		IS 17570 (Part 1):2021 ISO 16890-2:2016	Air Filters for general ventilation	05 th September, 2024
Electrical appliance fans (Quality Control) Order, 2023				
2.	Electrical appliance fans (Quality Control) Order, 2023 S.O.1124(E) dated 05th March 2024	IS 302 (Part2/Sec 80):2017	Electrical appliance fans	05 th September, 2024
Electrical Appliances for Skin or Hair care (Quality Control) Order, 2023				
3.	Electrical Appliances for Skin or Hair care (Quality Control) Order, 2023 S.O.1125(E) dated 05th March 2024	IS 302 (Part2/Sec 23):2009	Electrical appliance for Skin or Hair care	05 th September, 2024
Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2023				
4.	Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2023 S.O.1126(E) dated 05th March 2024	IS 302 (Part2/Sec 7):2010	Electrical appliance for domestic clothes washing	05 th September, 2024
Electrical appliance for commercial dispensing and vending (Quality Control) Order, 2023				
5.	Electrical appliance for commercial dispensing and vending (Quality Control) Order, 2023	IS 302 (Part2/Sec 75):2018	Electrical appliance for commercial dispensing and vending	05 th September, 2024

	S.O.1127(E) dated 05th March 2024			
Electrical appliance for Kitchen (Quality Control) Order, 2023				
6.	Electrical appliance for Kitchen (Quality Control) Order, 2023 S.O.1128(E) dated 05th March 2024	IS 302 (Part2/Sec 9):2009	Electrical appliance – Toasters, grills, roasters and similar appliances	05 th September, 2024
		IS 302 (Part2/Sec 31):2009	Electrical appliance –Range hoods	05 th September, 2024
Water meters and accessories (Quality Control) Order, 2023				
7.	Water meters and accessories (Quality Control) Order, 2023 S.O.1142(E) dated 05th March 2024	IS 2373:1981	Water meters (bulk type)	05 th September, 2024
		IS 779:1994	Water meters (domestic type)	05 th September, 2024
		IS 2692:1989	Ferrules for water services	05 th September, 2024
Electrical appliance for domestic water heating (Quality Control) Order, 2023				
8.	Electrical appliance for domestic water heating (Quality Control) Order, 2023 S.O.1253(E) dated 05th March 2024	IS 302 (Part2/Sec 21):2018	Appliances for stationary type electric water heaters	05 th September, 2024
		IS 302 (Part2/Sec 35):2017	Appliances for electric instantaneous water heaters	05 th September, 2024
		IS 368:2014	Electric Immersion Water Heaters	05 th September, 2024
		IS 2082:2018	Stationary storage type electric water heaters	05 th September, 2024
		IS 17150:2019	Mini domestic water heater for use with pipes natural gas (PNG)	05 th September, 2024
Asbestos or Fibre Cement based Products (Quality Control) Order, 2024				
9.	Asbestos or Fibre Cement based Products (Quality Control) Order, 2024 S.O.1152(E) dated 06th March 2024	IS 459:1992	Corrugated Asbestos Cement Sheets	06 th September, 2024
		IS 1592:2003	Asbestos Cement Pressure Pipes and Joints	06 th September, 2024
		IS 2096:1992	Asbestos Cement Flat Sheets	06 th September, 2024

		IS 2098:1997	Asbestos Cement Building Boards	06 th September, 2024
		IS 6908:1991	Asbestos- Cement Pipes and Fittings for Sewerage and Drainage	06 th September, 2024
		IS 13000:1990	Silica-Asbestos- Cement Flat Sheets	06 th September, 2024
		IS 8870:1978	Asbestos Cement Cable Conduits and Troughs	06 th September, 2024
		IS 9627:1980	Asbestos Cement Pressure Pipes (Light Duty)	06 th September, 2024
		IS 13008:1990	Shallow Corrugated Asbestos Cement Sheets	06 th September, 2024
		IS 14862:2000	Fibre Cement Flat Sheets	06 th September, 2024
		IS 14871:2000	Fibre Reinforced Cement Products	06 th September, 2024
Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024				
10.	Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024 S.O.1153(E) dated 06th March 2024	IS 2095 (Part 1):2011	Gypsum Plaster Boards	06 th September, 2024
		IS 17400:2021	Glass Fibre Reinforced Gypsum Panels	06 th September, 2024
		IS 2692:1989	Coated/Laminated Gypsum Plaster Board	06 th September, 2024
		IS 2095 (Part 3):2022	Reinforced Gypsum Plaster Boards, Ceiling Tiles	06 th September, 2024
V-Belt (Quality Control) Order, 2024				
11.	V-Belt (Quality Control) Order, 2024 S.O.1252(E) dated 06th March 2024	IS 2494 (Part 1):1994	Endless V-Belts for Industrial Purposes- General Purposes	06 th September, 2024
		IS 2494 (Part 2):1993	Endless V-Belts for Industrial Purposes- Fire resistant and antistatic V-Belts	06 th September, 2024

		IS 14261:1995	Transmission Devices – V-Belts endless narrow for Industrial Use	06 th September, 2024
--	--	---------------	--	----------------------------------

2. The copy of above mentioned QCOs is attached with this circular.
3. All the above mentioned QCOs are also available on BIS website. All BO Heads are requested to ensure that the applications pending for the above products are processed **proactively on priority for grant of licence**. LPPD/LRMD is requested to ensure the availability of labs for testing of products notified under said QCOs.
4. All ROs-BOs are also requested to organize awareness and capacity building programme to give wide publicity to these QCOs and to help the industry to prepare itself for the implementation of the QCOs.

(Sanjay Saxena)
Scientist-D (CMD-I)

Head (CMD-I)

Circulated to all concerned

Copy to: ITSD for hosting on BIS intranet



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252701
CG-DL-E-07032024-252701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1057]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 1057]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1114(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को एयर कूलर और एयर फ़िल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष के लिए टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एयर कूलर और एयर फ़िल्टर	3315:2019	इवैपोरेटिव एयर कूलर (डेजर्ट कूलर)
	17570 (भाग 1):2021 आईएसओ 16890-2: 2016	सामान्य वेंटिलेशन के लिए एयर फ़िल्टर - तकनीकी विशिष्टताओं की आवश्यकताएं और पार्टिकुलेट मैटर दक्षता (ईपीएम) के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/25/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1114(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.**- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall

bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to **micro enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of **twelve months** from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to **small enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of **nine months** from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under 'Udyam portal' of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention.- Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Air Cooler and Air Filters	3315:2019	Evaporative Air Coolers (Desert Coolers)
	17570 (Part 1): 2021 ISO 16890-2: 2016	Air Filters for general ventilation - Technical specifications requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/25/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252743
CG-DL-E-08032024-252743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1067]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1124(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इस आदेश को इलेक्ट्रिकल एप्लायंस फेन्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
इलेक्ट्रिकल एप्लायंस फेन्स	302 (भाग 2/ खंड 80) : 2017	घरेलू और समान विद्युत उपकरण - सुरक्षा -फेन्स के लिए विशेष आवश्यकताएँ

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी- 29026/8/6/2022– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1124(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Electrical appliance fans (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification.

Provided that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine month from the date of publication of this notification.

3. **Certification and enforcement authority.**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.**—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles (1)	Indian Standard (2)	Title of Indian Standard (3)
Electrical appliance- fans	302 (Part 2/ Sec 80): 2017	Household and similar electrical appliances - Safety - particular requirements for fans

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/6/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252774
CG-DL-E-08032024-252774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1068]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1068]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1125(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को त्वचा या बालों की देखभाल के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
त्वचा या बालों की देखभाल के लिए विद्युत उपकरण	302(भाग 2/ खंड 23) : 2009	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ -त्वचा या बालों की देखभाल के लिए उपकरण

नोट— इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/1/2022—एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1125(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Electrical Appliances for Skin or Hair care (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of **twelve** months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined under clause (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of eighteen month from the date of publication of this notification:

Provided further that in relation to small enterprises, as defined under clause (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of fifteen month from the date of publication of this notification:

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical Appliances for Skin and Hair care	302 (Part 2/Sec 23): 2009	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - appliances for skin or hair care

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issues thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/8/1/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252761
CG-DL-E-08032024-252761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1069]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1069]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1126(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को डोमेस्टिक क्लॉथ वाशिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
डोमेस्टिक क्लॉथ वाशिंग के लिए विद्युत उपकरण	302(भाग 2/ अनुभाग 7) : 2010	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ - डोमेस्टिक क्लॉथ वाशिंग इलेक्ट्रिक मशीनें

नोट— इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी- 29026/8/4/2022— एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1126(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of **six month** from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to **small enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of **nine month** from the date of publication of this notification:

Provided also that in relation to **micro enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of **twelve month** from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention.- Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical appliance for domestic clothes washing	302 (Part 2/Sec 7): 2010	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - domestic electric clothes washing machines

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/4/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252763
CG-DL-E-08032024-252763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1070]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1070]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1127(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण	302(भाग 2/ खंड 75) : 2009	घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ - वाणिज्यिक वितरण उपकरण और वेंडिंग मशीनें

नोट— इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/5/2022- एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1127(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Electrical appliance for commercial dispensing and vending (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine month from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical appliance for commercial dispensing and vending	302 (Part 2/Sec 75): 2018	Safety of Household and Similar Electrical Appliances - Particular Requirements - Commercial Dispensing Appliances and Vending Machines

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/5/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252762
CG-DL-E-08032024-252762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1071]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1128(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को रसोई के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक का शीर्षक (3)
रसोई के लिए विद्युत उपकरण	302 (भाग 2/ खंड 23) : 2009	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ - टोस्टर, ग्रिल्स, रोस्टर और इसी तरह के उपकरण
	302 (भाग 2/ खंड 31) : 2009	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएँ - रेंज हूड्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/2/2022-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1128(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Electrical Appliances for Kitchen (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.-Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

Provided also that in relation to small enterprises, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on expiry of nine month from the date of publication of this notification:

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention.- Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical Appliances for Kitchen	302 (Part 2/Sec 9): 2009	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - toasters, grills, roasters and similar appliances
	302 (Part 2/Sec 31): 2009	Safety of household and similar electrical appliances - particular requirements - range hoods

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252740
CG-DL-E-08032024-252740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1080]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1080]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का. आ. 1142(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इस आदेश को वाटर मीटर और एक्सेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण**—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
वाटर मीटर और एक्सेसरीज	2373:1981	वाटर मीटर(बल्क टाइप)
	779:1994	वाटर मीटर (डोमेस्टिक टाइप)
	2692:1989	वाटर सर्विस के लिए फेरुल्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी- 29026/30/2023—एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1142(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Water meters and accessories (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. **Compulsory use of Standard Mark.**—Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 to Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve month from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to small enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine month from the date of publication of this notification.

3. **Certification and enforcement authority.**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.**—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Water Meter and Accessories	2373:1981	Water meters (bulk type)
	779: 1994	Water meters (domestic type)
	2692: 1989	Ferrules for water services

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/30/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252987
CG-DL-E-14032024-252987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1191]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945

No. 1191]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1253(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को डोमेस्टिक वाटर हीटिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। स्टे

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
डोमेस्टिक वाटर हीटिंग के लिए विद्युत उपकरण	302(भाग 2/ खंड 21) : 2018	स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लिए उपकरण
	302(भाग 2/ खंड 35) : 2017	इलेक्ट्रिक इंस्टैंटेनियस वॉटर हीटर के लिए उपकरण
	368 : 2014	इलेक्ट्रिक इमर्सन वॉटर हीटर
	2082 : 2018	स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर
	17150 : 2019	पाइपड नैचुरल गैस (पी एन जी) से उपयोग किया जाने वाला मिनी डोमेस्टिक वॉटर हीटर

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी- 29026/8/3/2022– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1253(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Electrical Appliances for domestic water heating (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to **micro enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of **twelve month** from the date of publication of this notification:

Provided also that in relation to **small enterprises**, as defined under clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of **nine month** from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention.- Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Electrical appliance for domestic water heating	302 (Part 2/Sec 21): 2018	Appliances for stationary storage type electric water heaters
	302 (Part 2/Sec 35): 2017	Appliances for electric instantaneous water heaters
	368: 2014	Electric Immersion Water Heaters
	2082: 2018	Stationary storage type electric water heaters
	17150: 2019	Mini domestic water heater for use with piped natural gas (PNG)

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/3/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252741
CG-DL-E-08032024-252741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1090]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का. आ. 1152(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इस आदेश को एस्बेस्टॉस अथवा फाइबर सीमेंट आधारित उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की समाप्ति के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग—नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अलावा इस आदेश में से कुछ भी लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ड) में यथा परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में सूक्ष्म उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) में यथा परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एस्बेस्टॉस अथवा फाइबरसीमेंट आधारित उत्पाद	459:1992	कॉरुगेटेड और सेमी-कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स
	1592:2003	एस्बेस्टॉस सीमेंट प्रेशर पाइप्स और ज्वाइंट्स
	2096:1992	एस्बेस्टॉस सीमेंट फ्लैट शीट्स
	2098:1997	एस्बेस्टॉस सीमेंट बिल्डिंग बोर्ड
	6908:1991	एस्बेस्टॉस- सीमेंट पाइप्स एवं सीवेरेज तथा ड्रेनेज के लिए फिटिंग्स
	13000:1990	सीलिका- एस्बेस्टॉस- सीमेंट फ्लैट शीट्स
	8870:1978	एस्बेस्टॉस सीमेंट केबल कॉन्ड्यूट और ट्रॉप्स
	9627:1980	एस्बेस्टॉस सीमेंट प्रेशर पाइप्स (लाइट ड्यूटी)
	13008:1990	शैलो कॉरुगेटेड एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स
	14862:2000	फाइबर सीमेंट फ्लैट शीट्स
14871:2000	फाइबर रिइनफोर्सिड सीमेंट प्रोडक्ट- रूफिंग और क्लैडिंग के लिए लॉन्ग कॉरुगेटेड अथवा एसिमेट्रिकल सेक्शन शीट्स तथा फिटिंग्स	

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-31032/16/2023-सीमेंट]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1152(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Asbestos or Fibre Cement based Products (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.**—Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to small enterprises, as defined under clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of nine month from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to micro enterprises, as defined under clause (h) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

3. **Certification and enforcement authority**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for contravention**—Any person who contravenes any of the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods and Articles (1)	Indian Standard (2)	Title of Indian Standard (3)
Asbestos or Fibre Cement based Products	459:1992	Corrugated and Semi - Corrugated Asbestos Cement Sheets
	1592:2003	Asbestos Cement Pressure Pipes and Joints
	2096:1992	Asbestos Cement Flat Sheets
	2098:1997	Asbestos Cement Building Boards
	6908:1991	Asbestos - Cement Pipes and Fittings for Sewerage and Drainage
	13000:1990	Silica-Asbestos-Cement Flat Sheets
	8870:1978	Asbestos Cement Cable Conduits and Troughs
	9627:1980	Asbestos Cement Pressure Pipes (Light Duty)
	13008:1990	Shallow Corrugated Asbestos Cement Sheets
	14862:2000	Fibre Cement Flat Sheets
	14871:2000	Fibre Reinforced Cement Products – Long Corrugated or Asymmetrical Section Sheets and Fittings for Roofing and Cladding

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-31032/16/2023-CEMENT]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252739
CG-DL-E-08032024-252739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1091]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का. आ. 1153(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इस आदेश को जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छहमाह के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ड) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में सूक्ष्म उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) में परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री	2095 (भाग 1):2011	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड
	17400:2021	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड ग्लास फाइबर रीइनफोर्स्ड जिप्सम पैनल
	2095 (भाग 2):2022	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड— कोटेड/लैमिनेटेड जिप्सम प्लास्टर बोर्ड
	2095 (भाग 3):2022	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड - रीइनफोर्स्ड जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, सीलिंग टाइल्स

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-31032/13/2023—सीमेंट]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1153(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.:

2. **Compulsory use of Standard Mark.**—Goods or articles specified in Column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standards specified in Column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to small enterprises, as defined under clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of nine month from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to micro enterprises, as defined under clause (h) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

3. **Certification and enforcement authority.**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.**—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Gypsum based Building Materials	2095 (Part 1):2011	Gypsum Plaster Boards
	17400:2021	Gypsum Plaster Boards Glass Fibre Reinforced Gypsum Panels
	2692: 1989	Gypsum Plaster Boards - Coated/ Laminated Gypsum Plaster Boards
	2095 (Part 3):2022	Gypsum Plaster Boards - Reinforced Gypsum Plaster Boards, Ceiling Tiles

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. . P-31032/13/2023-Cement]

SANJIV, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252911
CG-DL-E-13032024-252911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1190]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945

No. 1190]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1252(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवाहितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को वी-बेल्ड(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह आदेशशासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2.मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानकब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक का शीर्षक (3)
वी-बेल्ट	2494(भाग 1) : 1994	वी-बेल्ट- औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एंडलेस वी-बेल्ट – सामान्य प्रयोजन
	2494(भाग 2) : 1993	वी-बेल्ट - औद्योगिक प्रयोजनों के लिए एंडलेस वी-बेल्ट – फायर रेसिस्टेंट एवं एंटीस्टैटिक वी-बेल्ट
	14261 : 1995	ट्रांसमिशन डिवासेस – वी बेल्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिए एंडलेस नैरो वी-बेल्ट

[फा. सं. पी- 39012/8/2023- एलआर]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1252(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the V-Belt (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided further that in relation to **micro enterprises**, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to **small enterprises**, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. – Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or Articles (1)	Indian Standards (2)	Title of Indian Standard (3)
V – Belts	2494 (Part 1) :1994	V-Belts - Endless V-Belts for Industrial Purposes - General Purpose
	2494 (Part 2) :1993	V-Belts - Endless V-Belts for Industrial Purposes – fire resistant and antistatic V-Belts
	14261 :1995	Transmission Devices – V – Belts endless narrow V-Belts for industrial use

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-39012/8/2023-LR]

SANJIV, Jt. Secy.